337784

... 2018

प्राप्त किया गया राम दुलार चौरसिया

पिता - बिन्दु प्रसाद

ग्राम - औरंगाबादपुर

मथुरा

	रु०	पै०
विवाह हेतु निधि जमा 2018	10,000-00	
मेकर		
...		
कुल	10,000-00	

(केवल दस हजार रुपये मात्र)

प्राप्त करनेवाले के हस्ताक्षर

तारीख 16-2-18

लेखपाल ... मथुरा

दिनांक 19/02/2018
Ram Dular Chaudhary
Vishnu Mallah
PROHIBITION DEPT Bhabhua
COURT FEE

...ional Affidavit to be submitted by candidates

Election to ..Bihar legislative assembly.....................(Name of the House), from ....205 - Bhabua..................Constituency.

I..Ram Dular Chaudhary. (name of candidate), son/daughter/wife of ..Vishnu mallah aged 63 years, resident of village+P.O.- Akhalespur, P.S.-Bhabua, Dist - Kaimur a candidate at the above election, do solemnly affirm and state on oath as under:-

(i) I have not been allotted any govt. accommodation at any time during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election.

OR

(ii) I have been allotted govt. accommodation at ______ (mention the address of the accommodation) during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election, and there are no arrears of any dues to be paid towards rent for the accommodation or any arrears to the agencies providing electricity, water and telephone at the said accommodation as on ________ (the date should be the last date of the 3rd month prior to the month in which the election is announced) .

(iii) "No dues certificates" from the agencies concerned are attached hereto.

VERIFICATION

I, the deponent abovenamed, do hereby verify and declare that the above statements are correct to the best of my knowledge, and no part of it is false.

Verified at ....this the ....day of ....

DEPONENT

रामदुलार चौधरी

84/2018
12.05
24.2.18

प्ररूप 2ख

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

..........बिहार..........(राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए श्वेत/श्वेत श्याम या रंगीन मि में (2 से 2.5 सें.मी) स्टांप आकार का नवीनतम फोटो चस्पा करें

नीचे भाग 1 या भाग 2, जो लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं विधान सभा के निर्वाचन के लिए..................................विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूं।

अभ्यर्थी का नाम..पिता/माता/पिता का नाम..................................उसका डाक पता ....उसका नाम.................................. विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं..................में क्रम सं0 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम..है जो ....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0..................में क्रम सं0..................पर प्रविष्ट है।

तारीख..............................

प्रस्तापक के हस्ताक्षर

भाग 2

हम विधान सभा के निर्वाचन के लिए 205- भभुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित का नामनिर्देशन करते हैं।

अभ्यर्थीका नाम.......राम दुलार चौधरी.......पिता/माता/पति का नाम.......विष्णु मल्लाह.......उसका डाक पता ग्राम+पोस्ट- अखलासपुर थाना-भभुआ जिला- कैमुर......उसका नाम 205- भभुआ..........विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0......104......में क्रम सं0......131...... पर प्रविष्टि है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग की क्रम सं0			
1	2	3	4	5	6
1.	104	54	रामचन्द्र मल्लाह	रामचन्द्र मल्लाह	19-2-01
2.	104	62	महेन्द्र मांझी	महेन्द्र मांझी	19-2-0
3.	104	66	धर्मेन्द्र मल्लाह	धर्मेन्द्र मल्लाह	19-2-0
4.	104	76	इन्दरचंद्र मल्लाह	इन्दरचंद्र मल्लाह	19-2-0
5.	104	96	मनोज मल्लाह	मनोज मल्लाह	19-2-0
6.	104	97	महेश कुमार	महेश कुमार	19-2-0
7.	104	117	गुलाब चौधरी	गुलाब चौधरी	19-2-0
8.	104	119	राम विलास प्रसाद	रामविलास प्रसाद	19-2-0
9.	104	160	बनारसी प्रसाद	बनारसी प्रसाद	19-2-0
10.	104	547	योगेन्द्र कुमार	योगेन्द्र कुमार	19-2-0

कृपया ध्यान दें: प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिएं।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं और घोषणा करता हूं कि----

(क) मैं भारत का नागरिक हूं और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;

(ख) मैंने.........63.........वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

[नीचे(ग)(i)(ग)(ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ग) (i) ~~मुझे इस निर्वाचन में~~ ....स्वतंत्र........ ~~दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए;~~

या

(ii) ~~मुझे इस निर्वाचन में~~.........स्वतंत्र.......... ~~दल द्वारा खड़ा किया गया है; जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है~~/ मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं(जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i)...7- बल्ला............ (ii)...10- मोतियों का हार.........(iii)...45- डीजल पम्प..............हैं।

...रा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर.........हिन्दी..........(भाषा का नाम) में सही रूप में लिखा गया है।

(ङ) अपनी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य की विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूं और निरर्हित भी नहीं हूं।

*मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं...अति पिछड़ी.....**जाति/जनजाति का सदस्य हूं जो.....बिहार..... राज्य के उस राज्य के.....................(क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित**जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे.........बिहार........राज्य की विधान सभा के लिए साथ-साथ कराए जा रहे वर्तमान साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में से दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

रामदुलार चौधरी

तारीख.....19.12.2018

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

---

*यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

**उन शब्दों को काट दें, जो लागू न हों।

कृपया ध्यान दें:--"मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल" निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग 3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा(1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है; या शून्य

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध(अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है शून्य

यदि उत्तर "हां" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा:

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक..................शून्य..................

(ii) पुलिस थाना(थाने).....शून्य......(जिला)(जिले).......शून्य..............(राज्य).......शून्य.....

(iii) संबद्ध अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था..........शून्य...............

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें)....................शून्य....................

वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था.........शून्य..............

(vi) अधिरोपित दंड [कारावास (कारवासों) की अवधि और/या जुर्माने की राशि उपदर्शित करें]......शून्य

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें).......................शून्य...

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरूद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे:हां/नहीं शून्य

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख और विशिष्टियां)...............................शून्य

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके(जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे...............शून्य............

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं...............................शून्य...............

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें)..................शून्य.................................

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति)..............................शून्य.............

"(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है ?..नहीं...(हां/नहीं)

-यदि हां, धारित पद के ब्यौरे.........शून्य.....

(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है ?..नहीं.(हां/नहीं)

-यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचि०त कर दिया गया है.........शून्य.

(4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है ?..नहीं..(हां/नहीं)

-यदि हां, ब्यौरे दीजिए.........शून्य

(5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित किया गया है?..नहीं..(हां/नहीं)

-यदि हां, निरर्हित किए जाने की अवधि.........शून्य

(6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है?...नहीं.....(हां/नहीं)

-यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख............शून्य.....

(7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यष्टि हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा(संविदाए) रखता है जिसमें(जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेयर रखता है?....नहीं.....(हां/नहीं)

-यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और आस्त्विवान संविदा(ओं) के ब्यौरे...........शून्य.....

क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम(सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है?...नहीं.....(हां/नहीं)

-यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे.....शून्य....

(9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरर्हित किया गया है?..नहीं...(हां/नहीं)

-यदि हां, निर्हरन की तारीख.....शून्य....

रामकुमार चौधरी

स्थान: मऊआ

तारीख 19.2.2018

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं0........08..........

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 20.2.18......(तारीख) को......12.05 PM......(बजे)

*अभ्यर्थी/प्रस्तावक...रामकुमार चौधरी...(नाम) द्वारा परिदत किया गया।

तारीख...20.2.18.....

रामकुमार चौधरी

रिटर्निंग आफिसर

*लागून होने वाले शब्द काट दीजिए।

भाग 5

नामनिर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं:--

....

....

....

तारीख.............................

रिटर्निंग आफिसर

....(छिद्रण)...

प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

INDIA 375289

सत्यापित किया जाता है कि इस शपथ पत्र की सारी बातें सत्य हैं। जिनकी पहचान श्री ... अधिवक्ता ने किया है।

राम दुलार चौधरी

.... बिहार विधान सभा .... निर्वाचन क्षेत्र

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

बिहार विधान सभा ....(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं, राम दुलार चौधरी .... **पुत्र/पुत्री/पत्नी ...... विल्टू मल्लाह ...... आयु 63 वर्ष, जो ग्राम-(डाक का पूरा पता लिखें) - अरवलासपुर, पोस्ट- अरवलासपुर, थाना- भभुआ जि० - कैमूर (भभुआ) का/की निवासी हूं, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-

(1) मैं ———————— (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।
(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम ...... 205- भभुआ विधान सभा, बिहार ...... निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 104 ...... के क्रम सं. 131 ...... पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे 97095130.. संपर्क दूरभाषा संख्या/संख्याएं है/हैं और .... मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो) है तथा (i) .... (ii) .... (iii) .... मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) है/हैं।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति:

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	शून्य	शून्य	शून्य
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित - 1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित - 2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित - 3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) में अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। शून्य

राम दुलार चौधरी

...भ्यर्थी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी ... करेगा/करेंगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है/हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है। शून्य

(क)	मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य

(ii) निम्ननलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्य लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:- शून्य

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नही दिया गया है। नहीं

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: नहीं

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है: नहीं

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया	शून्य

19.2.018

रामफुलार चौधरी

(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचैंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रितनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	50,000/=	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	2,000/=	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY GOVT.

रामफूल चौधरी

	विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	जेवरात चांदी 10 भर-6000/- सोना 1 भर-30000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	52000/=	36000/=	शून्य	शून्य	शून्य

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के सन्दर्भ में भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Ram Ashis 17.2.018

रामबुझावन/रचौधरी

	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	[illegible] खाता-986 प्लॉट-3834	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1520 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नही	नही	नही	नही	नही
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	31.12.2005	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	30,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	700000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नही	नही	नही	नही	नही
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	[illegible] खाता-742 प्लॉट-3802	अरवलासपुर खाता-742 प्लॉट-3802	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	650 वर्ग फुट	650 वर्गफुट	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में	650 वर्ग फुट	650 वर्गफुट	शून्य	शून्य	शून्य

	कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	26.5.2000	26.5.2000	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	35000/-	35000/-	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	2,00000/-	2,00000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	9,65,000/-	2,35,000/-	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं:-
(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वय	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य					
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं ......मजदूरी......

(ख) पति या पत्नी ......मजदूरी......

"(9क) आय के (स्त्रोतों) के ब्यौरे:

(क) स्वयं ......मजदूरी......

(ख) पति या पत्नी ......मजदूरी......

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

......साक्षर......

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक मे दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु0 राम दुलार चौधरी

	डाक का पूरा नाम	ग्राम+पो०- [illegible] थाना-महुआ, जि०- [illegible]
	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	205- महुआ बिहार
	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	स्वतंत्र
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i)उल्लिखित मामलों से भिन्न]	शून्य
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	शून्य

7.		...का स्थायी लेखा सं0	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य

8.		आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपए में)					
		विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.		जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	52000/=	36,000/=	शून्य	शून्य	शून्य
ख.		स्थावर आस्तियां					
	I.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	65,000/=	35,000/=	शून्य	शून्य	शून्य
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति का विकास/संनिर्माण मूल्य (यदि लागू हो)	2,00000/=	2,00000/=	शून्य	शून्य	शून्य
		.... की	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	III.	अनुमानित					

राम दुलार चौधरी

Page: 018

		वर्तमान बाजार कीमत	10,65,000/-	3,35,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
		(क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	12,65,000/-	5,35,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
		(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.		दायित्व					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.		उच्चतम शैक्षिण अर्हता : साक्षर (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठयक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमे पाठयक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

NOTARY

13.2.018

आज तारीख.....19.2.2018..... को सत्यापित किया गया।

राम कुमार चौधरी

Identified by ... who made his signature in my presence

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोडे, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए दे लिए कोई जानकारी नही है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

NOTARY GOVT. OF BIHAR

19.2.18

शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 173(क))

मैं ......रामकुमार चौधरी.......... जो विधान सभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ/ सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूगॉ और मैं भारत की सम्प्रभूता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूंगा।

रामकुमार चौधरी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और
स्पष्ट अक्षरों में उसका नाम

जो लागू न हो उसे काट दें।

श्री/श्रीमती ......रामकुमार चौधरी...... आज दिनांक ....20/7/18.... माह ....2018 को निर्वाची पदाधिकारी, ...205 - [illegible]..... विधान सभा आम निर्वाचन क्षेत्र ....[illegible]........ के कार्यालय प्रकोष्ठ में .... बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया ।

रामकुमार चौधरी

[signature] 20.7.18

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम, पदनाम और मुहर।